# शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में लिंग असमानता का एक आलोचनात्मक विश्लेषण

**राजीव कुमार प्रजापति***

शिक्षा समाज के विकास का एक माध्यम है। इससे समाज के सभी वर्ग चाहे वह स्त्री हो या पुरूष अपने रचनात्मक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। लिंग असमानता की समस्याओं को शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा के क्षेत्र में बालकों के साथ–साथ बालिकाओं को शिक्षित करने तथा साक्षरता बढ़ाने हेतु कई कार्यक्रम जैसें–कन्या विद्या धन योजना, सावित्री बाई फूले साईकल योजना, पढ़े बेटियॉ बढ़े बेटियॉ आदि क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका परिणाम है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता जो वर्ष 2001 में 42.2 प्रतिशत थी, वर्ष 2011 में बढ़कर 57.2 प्रतिशत हो गयी। वहीं पुरूष साक्षरता वर्ष 2001 में 56.36 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 67.7 प्रतिशत हो गई है। परन्तु 2011 में महिला साक्षरता दर में पुरूष साक्षरता दर की अपेक्षा ज्यादा वद्धि हुई है, जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में लिंग असमानता कम हुई है। परन्तु यह अन्य राज्यों जैसें– केरल, मिजोरम, गोवा आदि की अपेक्षा दयनीय स्थिति को उजागर करती है।

शिक्षा समाज का दर्पण है। शिक्षा को परिभाषित करते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा था कि "शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है जिसका प्रयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं।" यह उक्ति भारत के सन्दर्भ में और महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब हम वैश्विक और भूमण्डलीकरण के दौर से गुजर रहें हैं। विज्ञान और प्रोद्योगिकी के इस युग में लगातार यह महसूस किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को न सिर्फ बेहतर नागरिक और सामाजिक प्राणी बनाने के लिए शिक्षित किये जाने की आवश्यकता है बल्कि उसे एक उत्पादनशील प्राणी भी होना चाहिए। अतः यह कहना बिल्कुल सही है कि शिक्षा को लोकतंत्र के मूल्यों के विकास और मजबूती के एक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। शिक्षा ही वह दर्पण है जो समाज की बुराईयों को दूर कर उसे विकास के पथ पर अग्रसर करती है। शिक्षा का मानव जीवन के विकास पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है, विशेष कर महिला शिक्षा का। गांधी जी ने शिक्षा पर बल देते हुए कहा है कि शिक्षा का

**शोध छात्र राजनीति विज्ञान विभाग बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर (केन्द्रिय विश्वविद्यालय) विश्वविद्यालय, लखनऊ**



मूल उद्देश्य पढ़ना, लिखना, साधारण जोड़–घटाव के साथ–साथ हस्तशिल्प भी होना चाहिये जिससे व्यक्ति अपने जिविकोर्पाजन कर सके। उन्होंने महिला शिक्षा पर बल देते हुए परिवार को प्रथम पाठशाला तथा मां को प्रथम शिक्षक बताया। गांधी जी के इसी अवधारणा को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए समय–सयम पर अनेक शिक्षा प्रणालीयों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में लगातार वृद्वि दृष्टिगोचर हो रही है।

प्राचीन काल में भारत में शिक्षा का प्रमुख केन्द्र गुरूकुल थे जिसमें मौखिक रूप में शिक्षा दी जाती थी, साथ ही शिक्षा जन साधारण एवं स्त्रीयों के लिए शिक्षा नाम मात्र की थी। हांलाकि वैदिक काल में कुछ प्रमुख विदुषी महिलाओं जैसे–अपाला, घोषा, गार्गी आदि के नाम मिलते हैं। मध्य काल में शरियत एवं पर्दा प्रथा होने के कारण महिलायें शिक्षा से वंचित थी। आधुनिक काल में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए शिक्षा के लिए अनुदान तथा महिला शिक्षा पर बल दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था पर बल देते पुरूषों तथा महिलाओं के लिए अनेक संवैधानिक, सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयास किये जा रहे हैं जिससें शिक्षा तथा विशेष कर महिला शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो सके।

**संवैधानिक प्रावधानः**

भारत के संविधान निर्माता देश के अनुकूल एक ऐसे संविधान की रचना करना चाहते थे जिसमें समाज के सभी वर्गों जैसे अमीर–गरीब, धनी–निर्धन, स्त्री–पुरूष को समान अधिकार एवं न्याय मिल सके, और समाज एवं राष्ट्र का समावेशी विकास हो सके। जिसके लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन एवं तत्व है, को ध्यान में रखते हुए निम्न लिखित संवैधानिक प्रावधान किया गया है–

- भारतीय संविधान अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यथा सम्भव 6 वर्ष से कम के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा।
- सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य 2002 भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन करते हुए शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 21क में यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना अब उनका मौलिक अधिकार है।
- 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 में 51क (ट) जोड़ कर शिक्षा को मूल कर्तव्य में प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता–पिता अथवा प्रतिपाल्य के संरक्षक उनकों शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।

इन्ही प्रावधानों एवं सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा अनेक शिक्षा संबंधी सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

**योजनाएं–**

शिक्षा को बढ़ावा देने तथा स्त्री एवं पुरूष साक्षरता दर की असमानता को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रही हैं जो निम्नवत् हैं–

- राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण कार्यक्रम 1962
- अनौपचारिक शिक्षा योजना 1979–80
- जन शिक्षण निलयमों की स्थापना कार्यक्रम 1985
- आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1986
- आंशिक रूप से विकलांग बच्चों को समेकित शिक्षा 1986–87
- पत्राचार शिक्षा सत्त अध्ययन सम्पर्क योजना 1986–87
- व्यवसायिक शिक्षा योजना 1989
- प्रदेश में उर्दू भाषा की विद्यालयी शिक्षा योजना 1989
- सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम 1991
- आश्रम पद्वति विद्यालय कार्यक्रम
- बालाहार/विशेष पुष्टाहार योजना
- गरीब छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना 1993–94
- 'उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा' परियोजना 1993–94
- शिक्षा गारन्टी योजना 1999
- शिक्षा मित्र योजना 1999
- अव्वल नम्बर पुरस्कार योजना 2002
- आशीर्वाद स्कूल हेल्थ कार्यक्रम 2008–9
- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना 2008–9
- पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना 2004
- दशमोंत्तर छात्रवृत्ति योजना
- साक्षर भारत कार्यक्रम 2012
- दशवीं पास छात्र–छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट एवं बारहवीं पास छात्र–छात्राओं को लैपटाप योजना जुलाई 2012
- कन्या विद्या धन योजना–अगस्त 2012
- पढ़े बेटियॉ, बढ़े बेटियॉ योजना 2012
- प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2012

**महिला समाख्या कार्यक्रम 1988–89**

आजादी के बाद भारत सरकार ने देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को जनसाधरण तक पहुॅचानें



तथा राष्ट्रीय साक्षरता दर को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसी सन्दर्भ में 1986 में बनी **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति'** के तहत मानव विकास मंत्रालय ने **'महिलाओं के समानता के लिए शिक्षा'** हेतु **'महिला समाख्या कार्यक्रम 1988–89'** को देश के तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं गुजरात में प्रारम्भ किया। महिला समाख्या कार्यक्रम भारत सरकार के मानव विकास मंत्रालय द्धारा पूर्णतः वित्तपोषित राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य नये मूल्यों के विकास को प्रोत्साहन देना, महिलाओं के प्रति एक विशेष रूढ़ीवादिता को समाप्त करना एवं महिलाओं में समानता एवं सशक्तता को जाग्त करना है। महिला समाख्या का मुख कार्यक्रम महिलाओं व किशोरीयों को प्रशिक्षण, कार्यशाला, शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, महिला अधिकार व कानून तथा आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान करना है।

**सम्पूर्ण साक्षरता अभियान–1999**

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को प्रदेश के फतेहपुर जनपद से संचालित किया।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के लिए ऐसे नागरिकों को तैयार करना है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तर्कशील, मन से सचेतन, अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक तथा स्वतंत्र परम्पराओं को स्वीकार करने वाले और लोक भावनाओं के साथ राष्ट्रीय विकास के प्रयासों में सहयोगी बन सके। उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम माइक्रोंप्लानिगं के आधर पर चार वर्षों 1992–93 में 10 जनपदों 1993–94 में 21 जनपदों तथा 1994–95 में 14 जनपदों में संचालित किया गया। प्रदेश में यह कार्यक्रम मात्र सरकारी न होकर एक जन कार्यक्रम भी है। जनसमुदाय स्वयं साक्षरता की ओर प्रेरित है। यह कार्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। इसके वित्तिय प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार दो तिहाई तथा राज्य सरकार एक तिहाई अंश का योगदान करती है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को सफल बनाने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गयें जो इस प्रकार हैं–

(क) कम समय में साक्षरता दर को बढ़ाया जाना

(ख) प्राथमिक विद्यालयों में जाने वाले बालक/बालिकाओं को स्कूल में दाखिला करना तथा पॉचवी तक पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना।

(ग) जो बच्चें प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गये या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र या साक्षरता केन्द्र पर साक्षर करना।

(घ) 15 से 35 वर्ष के अशिक्षित महिलाओं एवं पुरूषों को साक्षर बनाना।

**उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा योजना**

वर्ष 1993–94 में प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में प्राथमिक तथा सीनियर बेसिक स्कूलों की स्थापना करना, भवनहीन तथा जर्जर स्कूलों का मरम्त करना, काम्प्लेक्स बनवाना, स्कूलों के भवनों का निर्माण करना आदि है।यह परियोजना प्रदेश के 10 जिलों में शुरू की गयी है जिसमें अब दो जिलें उत्तरांचल क्षेत्र में सम्मिलित है। दस परियोजना की अवधि सात वर्ष है। इस परियोजना के लिए वित्त विश्व बैंक, भारत सरकार तथा प्रदेश 87:13 के अनुपात में मिलकर वहन करती हैं।

**सर्व शिक्षा अभियान**

प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने तथा सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के उद्देश्य से पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत किया जिसका नारा था 'सब पढ़े सब बढ़े'। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की केन्द्र प्रायोजित योजना है जो प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है। इसके संचालन के लिए वित्तिय व्यवस्था में केन्द्र सरकार 65 प्रतिशत तथा प्रदेश सरकार 35 प्रतिशत अंश का वहन करती है। इस परियोजना के कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निधारिर्त किये जो इस प्रकार है–

(क) सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन करना।

(ख) सामाजिक भेदभाव तथा लिंग असमानता को समाप्त करना।

(ग) जीवनोपयोगी एवं गुणवत्ताापरक प्रारंभिक शिक्षा पर बल देना।

(घ) ड्राप आउट को कम करना।

(ड़) जिला स्तर तथा उप जिला स्तर पर क्षमता का विकास करना।

**साक्षर भारत कार्यक्रम**

साक्षर भारत मिशन का औपचारिक शुरूआत 8 सितम्बर 2009 को अन्तराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर किया गया, जो 1 अक्टूबर 2009 को पूरे देश में लागू किया गया।

साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत देश के उन 365 जिलों का चयन किया गया जिनका महिला साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश में 2001 के गणना के आधार पर प्रदेश के 66 जिलों में (ओरैया, गाजियाबाद, लखनऊ एवं कानपुर नगर को छोड़कर) का चयन किया गया।

साक्षर भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–

(क) महिला साक्षरता को बढ़ाकर पुरूष साक्षरता के बराबर लाना।



(ख) ग्रामीण एवं शहरी साक्षरता दर में समानता लाना।

(ग) सामाजिक भेदभाव एवं लिग असमानता में कमी लाना।

इस योजना के अन्तर्गत आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक महिला को साक्षर बनाने के निम्नानुसार महिला साक्षर कार्यक्रम का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

(क) 15 से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करना।

(ख) महिलाओं में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला साक्षरता कार्यक्रम को संचालित करना जैसे–ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से।

(ग) प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक लोक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक 10 निक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए एक स्वयं सेवक नामित किया जायेगा।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं प्रदेश सरकार का वित्तीय योगदान 75:25 का होगा।

**कन्या विद्या धन योजना**

उत्तर प्रदेश में कन्या विद्या धन योजना का शुभारम्भ 22 अगस्त 2012 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 10वीं उर्त्तीण छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए आकर्षित तथा प्रोत्साहित करने के साथ–साथ उनमें स्वालम्बन ही भावना को जागृत करना है ताकि वे उत्साहित होकर शिक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सके।

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 10वी उर्त्तीण छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए वर्ष 2012 एवं उसके बाद 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को जो इस योजना के मानक एवं शर्तो को पूरा करती है, को एक मुस्त रूपये 30000 की धनराशि प्रदान किया जाता है। यह योजना पूरे प्रदेश में कियान्वित की गयी है। इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण मानक एवं शर्ते निम्न है–

(क) वर्ष 2012 एवं उसके पश्चात् माध्यमिक शिक्षा परिषद से 12वीं या उसके समकक्ष 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्रा जिसके परिवार की वार्षिक आय 35000/– से अधिक न हो। गरीबी रेखा से नीचे परिवार के बालिकाओं को वरीयता दी जायेगी।

(ख) योजना के लिए चयनित छात्राओं को जिला समिति के माध्यम से उनके बैंक खातों में अथवा जिलें के प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में सिधे चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से वितरित की जायेगी।

(ग) चयनित छात्रा को कक्षा 12वीं उर्त्तीण करने के पश्चात् 30000 रूपये एकमुश्त प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी।

(घ) छात्राओं के आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप दो प्रमुख हिन्दी समाचार–पत्रों के माध्यम से प्रादेशिक स्तर पर विज्ञापित कर आमंत्रित किया जायेगी।

(ड़) छात्राओं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र उक्त विद्यालय जहां से छात्रा ने संस्थागत छात्रा के रूप में 12वीं की परीक्षा की हो, के प्रधानाचार्य द्वारा संस्तुत एवं अग्रसारित करने के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय मे जमा किया जायेगा।

(च) योजना से का लाभ छात्रवृत्ति या योजना से प्राप्त होने वाले लाभ के अतिक्ति होगा।

(छ) योजना से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का रख रखाव जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर सम्पादित किया जायेगा।

**पढ़े बेटियॉ, बढ़ें बेटियॉ योजना**

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पढ़े बेटियॉ, बढ़ें बेटियॉ योजना वर्ष 2012 में प्रदेश के सभी जनपदों में प्रारम्भ की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित रहने वाली प्रदेश के समस्त वर्गों की बीपीएल परिवारों की छात्राओं को 10वीं की परीक्षा उर्त्तीण करने के उपरान्त माध्यमिक स्तर की शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सभी वर्गो की बीपीएल परिवार की हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा उर्त्तीण एवं आगे की कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप 30000 रूपये की धनराशि एकमुश्त प्रदान की प्रदान की जायेगी। इस योजना के पात्र छात्राओं के चुनाव के लिए कई मानक व शर्तें निर्धारित की गयी है जो निम्नवत् है–

(क) वर्ष 2012 एवं उसके पश्चात् माध्यमिक शिक्षा परिषद से 10वीं या उसके समकक्ष 10वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राओ को आगे की पढ़ाई के लिए जिनके परिवार को ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल हो अथवा खाद्य विभाग द्वारा बीपीएल/अन्तोदय कार्ड धारक हो।

(ख) चयनित छात्राओं की देय धनराशि जिला समिति के माध्यम से छात्राओं के बैंक खाता में अथवा जिला प्रभारी मंत्री द्वारा चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(ग) चयनित छात्राओं को दशवीं उर्त्तीण करने के पश्चात् एकमुश्त 30000 रूपये की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी।

(घ) छात्राओं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापित कर आमंत्रीत किया जायेगा।

(ड़) योजना से संबंधित अभिलेखों का रख–रखाव जिला विद्यालय स्तर पर संपादीत किया जायेगा।



(च) योजना के लिए पात्र छात्राओं का चयन/भुगतान जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रभाव में पड़ा है। पुरूष एवं महिला दोनों साक्षरता दर में वद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता 2001 में 56.36 प्रतिशत थी वही बढ़कर जनगणना 2011 के अनुसार 66.7 प्रतिशत हो गया है। लेकिन पुरे देश के स्तर पर उत्तर प्रदेश का साक्षरता में स्थान 29वॉ है। वहीं कुछ राज्यों में साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है। इनमें केरल (94.0प्रतिशत), मिजोरम (91.3प्रतिशत), गांवा (88.7प्रतिशत) इत्ययदि सम्मिलित हैं। महिलाओं का साक्षरता दर भी पुरूषों की अपेक्षा कम है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर पुरूष साक्षरता 80.9 प्रतिशत है, वहीं महिलाओं का साक्षरता दर 64.6 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में भी यही स्थिति है। उत्तर प्ररेश में पुरूष साक्षरता 77.3 प्रतिशत है, वहीं महिला साक्षरता दर 57.2 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय आधार पर भी असमानताएं विद्यमान है जहां केन्द्रिय उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 59.33 प्रतिशत है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे कम 56.2 प्रतिशत है। जिन राज्यों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है उनके पिछे उन राज्यों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव, शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार, महगीं शिक्षा प्रणाली, सरकारी योजनाओं का बेहतर ढंग से कियान्वयन न होना जैसे कई कारक जिम्मेदार हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार के साथ–साथ जनसाधारण को भी साक्षरता में वृद्धि हेतु सार्थक पहल करनी होगी।

**सन्दर्भ ग्रन्थ–**


- कुमार, प्रवीण (2013)"सामाजिक क्षेत्र का बदलता स्वरूपः शिक्षा एवं स्वास्थ्य नीति के सन्दर्भ में", संपादित 'आज का भारत : अर्थ और समाज', नई दिल्लीः ओरियंट ब्लैकस्वॉन, प्रा० लि०
- शर्मा, अनुराधा (2012)"सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक",संपादित 'समकालीन भारतः एक परिचय', नई दिल्लीः ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्रा० लि०
- सेन, अमर्त्य और ज्यां द्रीज़ (2011) "भारतीय राज्यों का विकास", भवानी शंकर बांगला, दिल्ली : राजपाल एण्ड सन्ज,
- डॉ० निगम, सुधीर कुमार एवं डॉ० जी०डी० अवस्थी (2014) "उत्तर प्रदेश में विकास कार्यक्रमों की एक झलक", लखनऊः भारत बुक सेन्टर
- आहूजा, राम(2016)"सामाजिक समस्याएं", नई दिल्लीः रावत पब्लिकेशन
- भारत 2017
- उत्तर प्रदेश 2015